न्यायालयः अवर न्यायाधीश तृतीय अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

स्वत्व वाद संख्या 93/2016

दिनांकः 09.11.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्षों को सुना। प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से अपने दिनांक 16.02.2023 के प्रस्तुत आवेदन में कहा गया है कि मामला साक्ष्य हेतु निर्धारित है। मामले में वादी की तरफ से वाद में खतियान, सर्वेहाल का पक्का नकल बयनामा का पक्का नकल, मूल बक्शिसनामा दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज एवं तीस साल से अधिक का पुराना दस्तावेज है इसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर में कहा गया कि वादी ने अपने आवेदन में सभी कागजात के अभिरक्षा के संबंध में कोई बयान प्रस्तुत नहीं किया है। और न ही यह जिक्र किया है कि दस्तावेज न्यायालय में कब दाखिल किया गया अतः वादी के आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में समस्थ तथ्यों का अनुशीलन किया। मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में तीन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो कि *खतियान खाता 1330 का पक्का नकल है एवं बयनामा दिनांक 10.05.1985 बच्चा सिंह बनाम रामस्वारथ सिंह का पक्का नकल एवं बकशीशनामा दिनांक 27.08.1983 चंपा कुंवर बनाम रामस्वारथ सिंह का मूल दस्तावेज* है, दस्तावेजों के अनुशीलन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में समस्त दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं और यद्यपि वादी ने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि यह दस्तावेज कब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही वादी ने अभिरक्षा के बारे में कोई तथ्य अपने आवेदन में कहा है फिर भी चूंकि दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं अतः न्याय हित में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की इजाजत दी जाती है । कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रदर्श अंकित करें।

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।